

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 66/2022 एल आर एक्ट (GCMS No 2022/75)

अनवान पृथ्वी बनाम महेन्द्र वगैरह
अपील विरुद्ध आदेश- अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ दिनांक 10.07.2015

| .तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज | नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 06.12.2022 | <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 8, 13, 15 के अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किया। रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक ने कहा कि अपीलान्त द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है, अतः इनकी अपील खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांत को रेस्पोंडेन्ट संख्या 14, 28 व 30 के वस्तुस्थिति पेश करने अथवा उनके मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उसके वारिसानो की सूची पेश करने हेतु बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी अभिभाषक अपीलान्त द्वारा आज तारीख पेशी तक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची पेश नहीं किये गये है। पत्रावली वर्ष 2015 से विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांत की एवं स्वयं अपीलान्त की बिना किसी आधार के उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्ध करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने में अरुचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियों के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरुद्ध वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

11
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर